



2026:AHC-LKO:3959-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 480/2022

संत राम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश,
सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शिव कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. दिनांक 06.08.2022 को हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"इस मामले को दिनांक 18.08.2022 को नए वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए ताकि विद्वान राज्य अधिवक्ता को पूर्ण निर्देश प्राप्त करने का अवसर मिल सके, विशेष रूप से इस संबंध में कि क्या कोई निजी व्यक्ति/न्यास उस मेले के दौरान कोई मेला शुल्क वसूल रहा है, जिसका आयोजन किसी न्यास द्वारा गाटा संख्या 61 और आसपास के भूखंडों पर किया जा रहा है।"

2. अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री मनीष मिश्रा ने लिखित निर्देशों के आधार पर सूचित किया है कि मेला दो गाटाओं अर्थात् गाटा संख्या 61 और 60 पर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2009 तक एक पंजीकृत संस्था मंदिर का प्रबंधन कर रही थी। उसके बाद, कोई अन्य प्रबंध समिति मंदिर के कार्यों का प्रबंधन कर रही थी।

3. मेले के प्रबंधन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तदनुसार, मंदिर प्रबंधन और ग्राम सभा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार गाटा संख्या 61 पर आयोजित मेले का प्रबंधन मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा, जबकि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गाटा संख्या 60 पर आयोजित मेले का प्रबंधन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

4. अब, रिट याचिका में यह अभिकथन किया गया है कि कुछ व्यक्ति मेला शुल्क वसूल रहे थे। ऐसे व्यक्तियों के नाम नहीं दिए गए हैं। स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि मेला शुल्क के नियंत्रण, प्रबंधन और वसूली को लेकर निजी पक्षों/समूहों के बीच कोई आंतरिक विवाद है, जिसका निस्तारण इस जनहित याचिका की कार्यवाही में नहीं किया जा सकता।

5. यह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के किसी कार्यवाही के लिये उपयुक्त मामला नहीं है। याचिकाकर्ता दीवानी या आपराधिक विधि के अंतर्गत विहित अन्य अप्चारों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

6. याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

19 जनवरी, 2026

एम.वी.एस.